



# गौरवशाली भारत

वर्ष : 13 , अंक : 67 , पृष्ठ : 08 , नई दिल्ली शुक्रवार 23 सितम्बर 2023, मूल्य : 1.50/-

नई दिल्ली से प्रकाशित

RNI No .DELHIN/2011/38334

## मुख्य अपडेट

केजरीवाल सरकार से एमसीडी को मिल रहा पर्याप्त फंड : शैली ओबरॉय

.... पेज 03

जौनपुर : एआरटीओ विभागों का कर्मचारी ही खुलेआम उड़ा रहा है नियमों का धज्जिया

.... पेज 05

रफ्तार और रोमांच के ड्रैवट का हुआ आगाज, फाइनल रेस के साक्षी बन सकते हैं सीएम योगी

.... पेज 07



नारी शक्ति वंदन

संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के एक दिन बाद नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में 'नारी शक्ति वंदन-अभिनंदन कार्यक्रम' के दौरान भाजपा समर्थक।

## महिला आरक्षण, ओबीसी को लेकर राहुल ने साधा मोदी पर निशाना

महिलाओं को आरक्षण देने का इस सरकार का फिलहाल कोई इरादा नहीं है

एजेन्सी

नयी दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधते हुए आज उनको सरकार को (अन्य पिछड़ा वर्ग) ओबीसी और महिला विरोधी बताते हुए कहा कि महिलाओं के लिए आरक्षण विधेयक संसद में पारित करवा तो दिया है लेकिन इसे अभी वह लागू नहीं कर रहे हैं। गांधी ने शुक्रवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संबाददाता सम्मेलन में विशेष सत्र के आयोजन की सराहना



सरकार का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण को लेकर के सबका ध्यान भटकने का काम हुआ है। यह विधेयक अभी लागू होने वाला नहीं है और 10 साल तक इसे लागू होने की संभावना नजर नहीं आ रही है।

उसके बाद भी क्या होगा इस बारे में भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कारण इसके क्रियान्वयन से पहले जनगणना होनी है और उसके बाद परिशीलन होना है इस तरह से यह विधेयक तत्काल लागू नहीं हो सकता।

को लेकिन कहा कि महिला आरक्षण विधेयक को लाकर इसे लागू करने की जो शर्त रखी गई है वह चौकाने वाली है और उससे साफ हो गया है कि महिलाओं को आरक्षण देने का इस

## मणिपुर कोर्ट से 5 आरोपियों को जमानत

गिरफ्तारी के विरोध में पुलिस स्टेशनों-अदालतों पर हमले की कोशिश

इंफाल। मणिपुर की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने 22 सितंबर को अत्याधुनिक हथियार रखने और पुलिस के बिना राज्य नहीं छोड़ेंगे। उधर, मणिपुर सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा कि सभी रूप 15 दिनों के भीतर हथियार सौंप कर दें।



16 सितंबर को हुई थी गिरफ्तारी

कोर्ट ने कहा कि सभी आरोपियों को हर 15 दिन में जांच अधिकारी के सामने पेश होंगे और कोर्ट की अनुमति के बिना राज्य नहीं छोड़ेंगे। उधर, मणिपुर सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा कि सभी रूप 15 दिनों के भीतर हथियार सौंप कर दें।

मणिपुर पुलिस ने पांचों आरोपियों को 16 सितंबर को गिरफ्तार किया था। इनकी पहचान मोइरांगथेम आनंद सिंह (45), अशोकपम काजी उर्फ किशोरजीत (39), लोकाकपम माइकल मंगंगचा (30), कोन्थैजम

रोमोजीत मेइतेई (28) और कीशम जॉनसन (35) के रूप में हुई।

गिरफ्तारी के बाद से ही लोग आरोपियों को बिना शर्त रिहाई की मांग में प्रदर्शन कर रहे थे।

उनका कहना है कि पुलिस ने स्वयंसेवकों को झूठे आरोप में गिरफ्तार किया है। गुरुवार यानी 21 सितंबर को भीड़ ने पुलिस स्टेशनों और अदालतों पर हमला करने की कोशिश की।

इस दौरान सुरक्षाबलों ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और स्टैंट बम दगे। इसमें 10 से अधिक लोग घायल हो गए। सावधानी

के तौर पर राज्य सरकार ने इंफाल के दोनों जिलों में शाम पांच बजे से कर्फ्यू में डील रह कर दी है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, छह स्थानीय क्लबों और मीरा पैबिस के आह्वान पर हथों में तख्तियां लिए और नारे लगाते हुए सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए।

इन लोगों ने इंफाल पूर्व में पोरोम्पेट पुलिस स्टेशन और इंफाल पश्चिम जिले में सिंगजामेई पुलिस स्टेशन और क्राकीथेल पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश की। वहीं, पुलिस और RPF कर्मियों ने भीड़ को हटाने के लिए कई राउंड आंसू गैस के गोले दगे।

## पाकिस्तान के 350 हिंदू-सिखों की अस्थियां का गंगा में विसर्जन की तैयारी

नयी दिल्ली। पाकिस्तान के करीब 350 हिंदू-सिखों सहित भारत के हजारों अस्थि कलशों का विसर्जन आठ अक्टूबर को उत्तराखंड के हरिद्वार में मोक्षदायनी गंगा में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया जाएगा। श्री देवोत्थान सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल नरेन्द्र ने शुक्रवार को यहां बताया कि अस्थि कलश यात्रा दिल्ली के आईटीओ से सात अक्टूबर को हरिद्वार के लिए रवाना होगी। अगले दिन अस्थि कलशों को वैदिक रीति से 100 किलो दूध की धारा के साथ सतीघाट (कनखल में) पर पवित्र गंगा नदी में प्रवाहित किया जाएगा। समिति के राष्ट्रीय महामंत्री एवं यात्रा संयोजक विजय शर्मा ने बताया कि यह 22वीं अस्थि कलश यात्रा होगी, जिसकी तैयारियों में अनेक समाज सेवा जुटे हुए हैं।

## खड़े ट्रक में घुसा दूसरा ट्रक, 4 की मौत

जबलपुर। जबलपुर- रोवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़े ट्रक में तेज रफ्तार ट्रक घुस गया। हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए। घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वालों में तीन लोग कटनी और एक शख्स जबलपुर का रहने वाला है। हादसा गुरुवार देर रात करीब 2 बजे हुआ। एसडीओपी पारुल शर्मा ने बताया कि ट्रक जबलपुर से कटनी की तरफ जा



रहा था। गोसलपुर थाना क्षेत्र के मोहररा टोल प्लाजा के 200 मीटर आगे स्थित ढाबे पर ट्रक ड्राइवर ने चाय पीने के लिए गाड़ी रोकी। ट्रक में

## जनता दल (एस) राजग में शामिल

नयी दिल्ली। महिलाओं को लोकसभा एवं विधानसभाओं में आरक्षण दिलाने वाले संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के अगले दिन शुक्रवार को जनता दल सेकुलर (जद 'एस') ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने की घोषणा की। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एवं जद(एस) नेता एच.डी.कुमारस्वामी ने जगत प्रकाश नड्डा और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद नड्डा ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एवं जद(एस) नेता एच.डी.कुमारस्वामी से हमारे वरिष्ठ नेता एवं गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में मुलाकात हुई।



भुवनेश्वर में अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मानसून सत्र के पहले दिन ओडिशा विधानसभा के सामने विरोध प्रदर्शन किया।

## सुप्रीम कोर्ट का आदेश, दिल्ली-एनसीआर में सभी पटाखों पर प्रतिबंध

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रदूषण के स्तर के मद्देनजर शुक्रवार को राजधानी में कम प्रदूषण वाले पटाखों (ग्रीन पटाखे) सहित सभी पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया। न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में फायरक्रैकर एसोसिएशन द्वारा दायर आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली-एनसीआर) में पटाखों के निर्माण और उपयोग की अनुमति नहीं दे सकती। शीर्ष अदालत ने राजधानी में



पटाखे पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने में दिल्ली पुलिस की विफलता पर भी सवाल उठाया था। एसोसिएशन ने अपनी याचिका में ग्रीन पटाखों में बेहतर बदलाव के साथ बेरियम नामक रसायन को शामिल कर पटाखों की अनुमति देने की गुहार लगाई

थी। शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन राज्यों में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं है, वहां लोग निर्धारित नियमों के अनुसार अपेक्षाकृत ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदालत का यह आदेश दीपावली के दौरान प्रदूषण के स्तर और अस्थमा को देखते हुए बेहद खास है। शीर्ष अदालत ने दोहराया कि पटाखों में बेरियम-आधारित रसायनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले उसके पहले के आदेश दिल्ली-एनसीआर में लागू रहेंगे।

## महिला आरक्षण जैसे कानून बनाने के लिए पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार जरूरी : मोदी

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नारीशक्ति वंदन अधिनियम को उभरते भारत की लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का प्रतीक करार दिया है और चेतावनी है कि देश को आगे ले जाने के लिए ऐसे निर्णायक कानून बनाने में सक्षम पूर्ण बहुमत वाली मजबूत सरकार बहुत आवश्यक है। मोदी ने आज सुबह यहां भाजपा मुख्यालय में आयोजित भाजपा महिला मोर्चा के अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यी बात कही। मोदी के लिए ऐसे निर्णायक कानून बनाने में सक्षम पूर्ण बहुमत वाली मजबूत सरकार बहुत आवश्यक है। मोदी ने आज सुबह यहां भाजपा मुख्यालय में आयोजित भाजपा महिला मोर्चा के अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यी बात कही। मोदी के लिए ऐसे निर्णायक कानून बनाने में सक्षम पूर्ण बहुमत वाली मजबूत सरकार बहुत आवश्यक है।



वन्तरी श्रीनिवासन ने प्रधानमंत्री की अगुवानी की। पार्टी मुख्यालय में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की सभी महिला मंत्री और पार्टी की सभी महिला सांसद भी उपस्थित थीं। कार्यक्रम में महिला कार्यकर्ताओं ने श्री मोदी को एक बड़ी सी माला पहना कर उनका अभिनंदन किया। मंच पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, महिला एवं बाल विकास

मंत्रि स्मृति ईरानी भी मौजूद थीं। प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति वंदन-अभिनंदन कार्यक्रम में उपस्थित महिला वृंद को संबोधित करते महिला आरक्षण विधेयक के सर्वसम्मति से पारित होने को एक ऐतिहासिक क्षण बताया और कहा कि यह देश के लिए एक विशेष क्षण, भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए एक विशेष दिन है। उन्होंने कहा, मैं आज देश की हर माता को, बहन को, बेटी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। कल और परसो हम सबने एक नया इतिहास बनते देखा है और हम सबका सौभाग्य है कि ये इतिहास बनाने का अवसर कोटि-कोटि जनो ने हमें दिया है। आने वाली अनेकों पीढ़ियों तक इस निर्णय और इस दिवस की चर्चा होगी।

## आतंकवादी गतिविधि टेरर फंडिंग केस में दहशतवादी को गिरफ्तारी से बचाने का आरोप, 5 लाख रुपए रिश्वत भी ली

### श्रीनगर में आतंकियों का मददगार डीएसपी गिरफ्तार

एजेन्सी श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंकियों को मदद करने के आरोप में गुरुवार को सस्पेंडेड डीएसपी आदिल मुरताक को गिरफ्तार किया है। शेख आदिल पर आतंकवादी गतिविधि में शामिल एक आरोपी मुजाबिल जहूर से 5 लाख रिश्वत लेने और एक अन्य पुलिस अधिकारी को फंसाने का आरोप है। डीएसपी आदिल मुजाबिल जहूर से लगातार संपर्क में था। वह उसे टेरर फंडिंग केस में लगातार बचाने की कोशिश में लगा हुआ था। पुलिस को आदिल और मुजाबिल के बीच

टेलीग्राम ऐप पर चैट और करीब 40 बार फोन पर बातचीत के रिकॉर्ड भी मिले हैं। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में शेख आदिल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनमें झूठे सबूत देना और सबूत नष्ट करना भी शामिल है। अन्य पुलिस अफसर को फंसाने में डीएसपी से सहयोग किया दरअसल, टेरर फंडिंग केस में इसी साल फरवरी महीने में पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के तीन आतंकियों



को गिरफ्तार किया था। उनके पास से 31 लाख रुपए जब्त किए गए थे। तीनों ने पूछताछ के दौरान मुजाबिल जहूर के नाम का खुलासा किया था। जांच के दौरान डीएसपी आदिल और मुजाबिल जहूर के बीच संपर्क का खुलासा हुआ। मार्च में डीएसपी

आदिल को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं पुलिस मुजाबिल को तलाश कर रही थी। इस बीच उसने जुलाई में मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। केस दर्ज करने के 4 दिन बाद मुजाबिल को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पता चला कि मुजाबिल ने जिस पुलिस अफसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, उसकी शिकायत भी डीएसपी शेख आदिल ने ही ड्राफ्ट की थी। इतना ही नहीं, मुजाबिल को गिरफ्तारी से बचाने के लिए शेख आदिल उसे कानूनी सलाह भी दे रहा था।

मजिस्ट्रेट ने आदिल को छह दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा शेख आदिल कश्मीर के बारामूला जिले का रहने वाला है और जम्मू-कश्मीर पुलिस के 2015 बैच का अधिकारी है। श्रीनगर पुलिस ने बताया कि डीएसपी आदिल के खिलाफ पहले भी जबर्न वसूली और महिलाओं को ब्लैकमेल करने का आरोप लगा था। गुरुवार को मजिस्ट्रेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले उसके पहले के आदेश दिल्ली-एनसीआर में लागू रहेंगे।













